प्रकरण संख्या 40/2019 2019/00077 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत रतियापुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रतियापुरा
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रतियापुरा – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–30.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड थे परन्तु जमाबंदी संवत् 2019–22 से अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (पंचायत के अधीन) दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में ग्राम पंचायत के अधीन तालाब दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तालाब दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2019–22, 2072–75, की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा जमाबंदी संवत् 2019–22 में अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (पंचायत के अधीन) के रूप में दर्ज है जो नियमानुसार पंचायत के अधीन राज्य सरकार के द्वारा दर्ज की गई थी। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2019–22 से अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (पंचायत के अधीन) दर्ज कर दिया गया।

जिला कलक्टर
करौली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा जमाबंदी संवत् 2019–22 में अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (पंचायत के अधीन) के रूप में दर्ज है जो नियमानुसार पंचायत के अधीन राज्य सरकार के द्वारा दर्ज की गई थी। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा गै0मु0 तालाब दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल जमाबंदी संवत् 2019–22 से अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (पंचायत के अधीन) दर्ज की गई है। नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा ग्राम रतियापुरा ग्राम पंचायत के अधीन तालाब अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0मु0 तालाब दर्ज थी जिसको अन्य सरकारी विभागों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली (ग्राम पंचायत के अधीन) दर्ज कर दिया गया। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तालाब दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम रतियापुरा की आराजी खसरा नंबर 609, 888, 1285 रकबा क्रमशः 8–00, 10–12, 6–18 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तालाब दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली